न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 661 / 2026
बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 373 / 2026

---

1. सोहावन सिंह, पिता स्व0 रामफल सिंह, उम्र करीब 63 वर्ष,
2. पिंटु कुमार, पिता सोहवन सिंह, उम्र करीब 23 वर्ष,
साकिन मोगलपुरा बिगहा, थाना बख्तियारपुर, जिला पटना.....आवेदक अभियुक्तगण

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री मनोज कुमार सिंह
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 रहमान

आदेश

13.08.2026 आवेदक अभियुक्त 1. सोहावन सिंह एवं 2. पिंटु कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 373 / 2026, अंतर्गत धारा 126(2), 109, 61(2), 352, 351(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में किसी प्रकार का कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है और इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। जमीन के पारिवारिक विवाद को लेकर झूठे एवं मनगढ़ंत मामले में फंसाया गया है। जैसी घटना प्राथमिकी में कही गई है, वैसी कोई घटना नहीं घटी है। सूचक के परिवार के सदस्य आवेदकगण के जमीन को जबरन कब्जा करना चाहते हैं। उभय पक्ष के बीच भूमि विवाद है। इस वाद में धारा 109 बी.एन.एस. एवं 27 शस्त्र अधिनियम को छोड़ अन्य सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति के हैं, क्योंकि किसी को गंभीर चोट नही लगी है और न ही किसी को जान मारने का इरादा था। घटनास्थल से कोई गोली का खोखा बरामद नही हुआ है। आवेदक अभियुक्तों को परेशान करने के उद्देश्य से यह मामला दर्ज किया गया है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने इस घटना का समर्थन नही किया है। आवेदक अभियुक्तगण के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

प्रस्तुत वाद के सूचक सन्नी कुमार हैं। अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि सूचक की शादी मोगलपुरा बीघा में त्रिभुवन की लड़की प्रियंका कुमारी से हुई है। सूचक की पत्नी

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 661/2026
बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 373/2026

लगातार
13.08.2026

मोगलपुरा में जमीन खरीदी है, जिसे सूचक के ससुर के चचेरे भाई सुहावन सिंह एवं उनके बेटे पिंटु जमीन पर घेराबंदी नहीं करने देते हैं। दिनांक 29.05.26 को सुबह 8:30 बजे सूचक जमीन पर काम कर रहा था तो आवेदक अभियुक्तगण पिस्तौल लेकर आये और बोले कि काम रोक दो नहीं तो गोली मार देंगे। समय करीब 2:30 बजे पिंटु कुमार सुहावन सिंह के कहने पर गोदाम पर आया, वहां पर सूचक की पत्नी प्रियंका कुमार एवं आरती कुमारी उनसे पूछा की सन्नी कहां है? सूचक की पत्नी बोली सन्नी कुमार यहां नही हैं, तो वह सूचक की पत्नी प्रियंका कुमारी के बांये छाती में गोली मार दिया और अपनी मोटरसाईकिल से सालिमपुर की ओर भाग गया। आसपास के लोग सूचक की पत्नी को जख्मी हालत में इलाज हेतु सरकारी अस्पताल बख्तियारपुर लाये, जहां से पी.एम.सी.एच. रेफर कर दिया गया। चेस्ट का डॉक्टर नही रहने के कारण पत्नी का इलाज नोबेल हॉस्पीटल पटना में भर्ती कराया।

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। दोनों अभियुक्तों पर जमीनी विवाद को लेकर घटना की तिथि को सूचक के खरीदगी जमीन पर जाकर काम रोक दने एवं नही मानने पर गोली मारने की धमकी देने तथा पश्चात् में सूचक के गोदाम पर जाकर सूचक की पत्नी को बांये छाती में गोली मारकर जख्मी कर देने का आरोप है। जिसका इलाज पी.एम.सी.एच. के पश्चात् नोबेल अस्पताल पटना में कराये जाने का वर्णन है। कांड दैनिकी के पारा–2 में वादी ने अपने पुनः बयान में प्राथमिकी का पूर्णतः समर्थन किया है तथा अभियुक्तों द्वारा जमीनी विवाद को लेकर उसकी पत्नी को गोली मारकर जख्मी कर देने की बात कही है। पारा–15, 16 में साक्षी आरती कुमारी एवं नौलेश कुमार ने भी अभियुक्त पिंटु यादव द्वारा प्रियंका कुमारी को गोली मार देने की बात कही है। पारा–27 एवं 28 में जख्मी साक्षी प्रियंका कुमारी एवं त्रिभुवन सिंह के बयान हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि वह अपने गोदाम पर काम करने के लिए निकली तो अभियुक्त पिंटु कुमार और सोहावन सिंह मोटर–साईकिल से उसका पीछा करने लगे। वह किसी तरह बचकर गोदाम पर आ गई तो पिंटु कुमार द्वारा गोदाम में घुसकर सन्नी एवं नॉलेश के बारे में पूछते हुए उसे गोली मार देने की बात कही है। पारा–32 में दोनों अभियुक्तों के दो आपराधिक इतिहास का वर्णन है, जो निम्न है।––

1. बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 88/20, दिनांक 19.03.20, धारा 341, 323, 324, 504/34 भा.द.वि.
2. बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 707/25 दिनांक 23.12.25, धारा 126(2), 115(2), 352, 351(2), 303, 3(5) बी.एन.एस. में दर्ज होने की बात है। पारा–53 में पी.ए.सी. बख्तियारपुर द्वारा निर्गत जख्म प्रतिवेदन का वर्णन है, जिसमें जख्म Wound over 3rd & 4th ICS left side of chest

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 661/2026
बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 373/2026

लगातार
13.08.2026

वर्णित है तथा ओपेनियन रिजर्व रखा गया है। कांड दैनिकी के पारा–109 में प्रियंका कुमारी का पूर्ण जख्म प्रतिवेदन का वर्णन है, जिसमें जख्म 1. Entry wound-Left side of chest, 3rd & 4th Ics (Redish colour) 2. Exit wound- upper back of the body (Redish colour) (Scapular region) पाया गया है। जख्म की प्रकृति गंभीर (Grievous) दर्शाया गया है। वाद अभी अनुसंधान अंतर्गत है। अभियुक्तों पर जमीन विवाद को लेकर सूचक की पत्नी के छाती में गोली मारकर जख्मी कर देने एवं उसकी हत्या का प्रयास करने का गंभीर आरोप है।

वाद के उक्त संपूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्थल पर आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामस्वरुप आवेदक अभियुक्त 1. सोहावन सिंह एवं 2. पिंटु कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

(लेखापित/शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ